9/2/2021 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप०। तहसीलदार नीमकाथाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का अनुरोध किया और अपनी सहमति दी। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में पक्षकारान को सूचित कर कब्जा काश्त व काई मीटर्स एण्ड बाऊण्डस् के आधार पर आपसी सहमति से तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिस पर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति भी नही है। अत: मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण अन्तिम रूप से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण को पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्‌नुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

P.D. लिया है
19/02/2021

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 14:22:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner